

 <p>सत्यमेव जयते</p>	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	कार्तिक 20, मंगलवार, शाके 1936—नवम्बर 11, 2014 <i>Kartika 20, Tuesday, Saka 1936-November 11, 2014</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION

Jaipur, November 11, 2014

No. F. 2 (27) Vidhi/2/2014.- The following Act of the Rajasthan State Legislature received the assent of the President on the 30th day of October, 2014 is hereby published for general information:-

THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND
ABOLITION) (RAJASTHAN AMENDMENT) ACT, 2014
(Act No. 19 of 2014)

[Received the assent of the President on the 30th day of October, 2014]

An

Act

to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 in its application to the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Contract Labour (Regulation and Abolition) (Rajasthan Amendment) Act, 2014.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 1, Central Act No. 37 of 1970.- For the existing sub-section (4) of section 1 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (Central Act No. 37 of

1970), in its application to the State of Rajasthan, the following shall be substituted, namely:-

“(4) It applies-

- (a) to every establishment in which fifty or more workmen are employed or were employed on any day of the preceding twelve months as contract labour;
- (b) to every contractor who employs or who employed on any day of the preceding twelve months fifty or more workmen:

Provided that the State Government may, after giving not less than two months' notice of its intention so to do, by notification in the Official Gazette, apply the provisions of this Act to any establishment or contractor employing such number of workmen less than fifty as may be specified in the notification.”.

दीपक माहेश्वरी,

Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 11, 2014

संख्या प. 2 (27) विधि/2/2014.—राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में “दी कॉन्ट्रैक्ट लैबर (रिग्यूलेशन एण्ड एबोलिशन) (राजस्थान अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2014 (एक्ट नं. 19 ऑफ 2014)” का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 19)

[राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 30 अक्टूबर, 2014 को प्राप्त हुई]

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 को इसके राजस्थान राज्य में लागू होने के निमित्त संशोधन अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1970 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 37 की धारा 1 का संशोधन.- ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 37), की धारा 1 की विद्यमान उप-धारा (4) के राजस्थान राज्य में लागू होने के निमित्त, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

"(4) यह-

(क) ऐसे प्रत्येक स्थापन को लागू होता है जिसमें पचास या इससे अधिक कर्मकार ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन नियोजित थे;

(ख) ऐसे प्रत्येक ठेकेदार को लागू होता है जो पचास या इससे अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है या जिसने पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन पचास या इससे अधिक कर्मकार नियोजित किये थे:

परन्तु राज्य सरकार, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम दो मास की सूचना देने के पश्चात् इस अधिनियम के उपबन्ध, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे किसी भी स्थापन या ठेकेदार को लागू कर सकेगी जो पचास से कम उतने कर्मचारियों को नियोजित करता है जितने अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें।"

दीपक माहेश्वरी,

प्रमुख शासन सचिव।